

राजस्थान सरकार,  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक एफ.5(4)24 / सम / सा.दि. / डीईएस / 2015-16 / I / 69809

दिनांक 01-06-2017

1. समस्त अतिः० मुख्य सचिव
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागीय आयुक्त,
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषय: राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड-2017 हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रो. पी. सी. महालनोबिस के आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकीय विकास क्षेत्र में दिये योगदान के उपलक्ष्य में उनके जन्म दिवस पर 29 जून 2017 को 11वां सांख्यिकी दिवस विभाग द्वारा मनाया जा रहा है।

विभाग द्वारा सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड-2017 दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त अवार्ड राज्य के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्ड में कार्यरत राजकीय कार्मिकों को प्रदान किये जावेंगे। (कार्मिक की योग्यता, अवार्ड की शर्तें एवं प्रक्रिया आदि का विस्तृत विवरण से संबंधित अवार्ड नियमावली की प्रति संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड-2017 हेतु आपके विभाग/संस्थान/बोर्ड आदि में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में निदेशालय में दिनांक 15.06.2017 को सांय 6:00 बजे तक भिजवाये जाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न— आवेदन का प्रारूप एवं अवार्ड नियमावली

भवदीय

30/06  
(डॉ. आम प्रकाश बैरवा)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

# मार्गदर्शिका

राज्य स्तरीय प्रो. पी. सी. महालनोबिस  
सांख्यिकी अवार्ड

वर्ष – 2017

## राज्य स्तरीय प्रो. पी. सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड योजना

प्राचीन काल से ही राज्य संबंधी कार्यों में सांख्यिकी का प्रयोग होता रहा है। तत्कालीन समय में सांख्यिकी का प्रयोग जन्म—मरण, उत्पादन, सेना एवं लगान संबंधी समंकों को संकलित करने में किया जाता था लेकिन आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व बढ़ा है। वर्तमान वैशिवक युग को यदि सांख्यिकी युग कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र जैसे—वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान आदि में सांख्यिकी का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। सांख्यिकी ही एक ऐसा आधार है, जिसके द्वारा आर्थिक नियोजन एवं नीति निर्धारण ढांचे का निर्माण किया जा सकता है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां सांख्यिकी का प्रयोग न होता हो। सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। समंकों के बिना नियोजन पतवार व दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की भाँति होता है।

वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक सांख्यिकी, आर्थिक गणना एवं सर्वेक्षण, मूल्य सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी, मुख्यमंत्री ई—ग्राम परियोजना, जीवनांक सांख्यिकी, जन्म—मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, भामाशाह योजना, डेटा प्रोसेसिंग एवं इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एवं राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण प्रकाशन यथा — आर्थिक समीक्षा, सम फैक्टस् अबाउट राजस्थान, सांख्यिकीय सार इत्यादि कार्यों को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा सम्पादित किया जाकर राज्य के नीति निर्धारण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

प्रो. प्रशान्त चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीयविद् थे। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। प्रो. महालनोबिस द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का भस्तौदा तैयार किया गया एवं कोलकत्ता में “भारतीय सांख्यिकीय संस्थान” की स्थापना की गई थी। इनको “भारतीय सांख्यिकीय तंत्र” का जनक भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में प्रो. प्रशान्त चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 से उनके जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष “सांख्यिकी दिवस” के रूप में मनाया जा रहा है।

राज्य सरकार राज्य के चहुँमुखी सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए नीति/योजना बनाते समय उस क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित समंकों यथा जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक परिवेश, जलवायु, भौगोलिक एवं आधारभूत संरचना इत्यादि सूचनाओं की आवश्यकता रहती है, जोकि समय—समय पर आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय कार्मिकों द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान संदर्भ में सांख्यिकी का उपयोग केवल समंकों के संकलन तक ही सीमित न हो कर, सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से विशलेषण एवं प्रमाणिक निष्कर्ष एवं समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है।

राज्य में सांख्यिकीय गतिविधियों एवं सेवाओं के निष्पादन हेतु वर्ष 1956 में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना की गई। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी की अधीनस्थ कार्यालयों में राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के कार्मिक कार्यरत है। कुछ विभागों में जिनमें सांख्यिकी सेवा के पद सृजित नहीं है उनमें संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा सांख्यिकी के सृजन, विश्लेषण व प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा राज्य के बजट (आय-व्यय विवरण) का निर्माण करने, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के साथ-साथ राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास परिदृश्य के आंकलन हेतु आवश्यक समंकों के संकलन एवं विश्लेषण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। सांख्यिकीय कार्मिकों द्वारा राज्य एवं जन कल्याण हित के कार्यों में सांख्यिकीय तकनीकों का उल्लेखनीय उपयोग एवं कार्य करने वाले कार्मिकों के उत्साहवर्धन हेतु राज्य स्तर पर "प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस 29 जून" पर प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कार्मिकों के मनोबल में उत्साहजनक वृद्धि की जाकर उनकी कार्यकुशलताओं, क्षमताओं एवं ज्ञान का राज्य हित में अधिकतम उपयोग किया जा सके। प्रतिवर्ष की भाँति 29 जून, 2017 को 11वां सांख्यिकी दिवस मनाया जावेगा।

राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड से सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार प्रस्तावित हैः—

1. प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के अवसर पर अधिकतम कुल 15 अवार्ड/पुरस्कार राजस्थान की विभिन्न राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों को सांख्यिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के फलस्वरूप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। पुरस्कार दो श्रेणीयों में प्रदान किये जावें। प्रथम श्रेणी में 5 तथा द्वितीय श्रेणी में 10 कार्मिकों को पुरस्कार स्वरूप प्रतीक चिह्न व प्रशस्ति-पत्र राज्य स्तरीय समारोह में सांख्यिकीविदों की उपस्थिति में दिया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य में सांख्यिकी को सुदृढ़ करने के साथ-साथ इसके प्रचार-प्रसार व उपयोग को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही नीति-निर्धारण व विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण में सांख्यिकी को प्रवृत्त किया जा सकेगा।

2. पुरस्कार हेतु सांख्यिकीय क्षेत्र – यह सांख्यिकीय अवार्ड निम्नलिखित सांख्यिकीय क्षेत्रों में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किये जावेगें:-
- i. जनगणना, आर्थिक गणना, कृषि गणना, पशुगणना आदि तथा अन्य एड्हॉक सांख्यिकीय सर्वेक्षण।
  - ii. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, बिजनेस रजिस्टर, सांख्यिकीय सर्वेक्षण यथा एन.एस.एस., ठी.आर.एस., फसल-कटाई प्रयोग सहित 20 मुख्य सांख्यिकीय क्षेत्रों में नवाचार/अभिनव प्रयोग।
  - iii. सांख्यिकीय के सूजन, विश्लेषण व प्रदर्शन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग।
  - iv. सांख्यिकीय विश्लेषण एवं विभागीय प्रकाशनों को क्रमोन्तत करने व विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के प्रभावी निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान।
  - v. अर्थशास्त्र व सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुकरणीय अध्ययन एवं शोध कार्यों व सांख्यिकी के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट कार्य।
3. पुरस्कार हेतु आवेदन प्रक्रिया
- i. प्रतिवर्ष राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों को सांख्यिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सांख्यिकी दिवस दिनांक 29 जून के अवसर पर पुरस्कार हेतु चयन गत वित्तीय वर्षों में किये गये उल्लेखनीय कार्यों तथा उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में प्रतिवर्ष माह मई-जून के दौरान प्रस्ताव राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जावेगें, जिसके संबंध में पृथक से आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा विभागीय वेबसाईट व पत्राचार के माध्यम से सूचित किया जावेगा।
  - ii. सांख्यिकीय कार्मिकों द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस अवार्ड हेतु प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्ष/ प्रशासनिक सचिव द्वारा मय टिप्पणी व आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र में नियत तिथि तक निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.) को बन्द लिफाफे में प्रेषित करेंगे। लिफाफे पर “राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी. महालनोबिस अवार्ड हेतु आवेदन पत्र” अंकित किया जावें।
  - iii. प्रस्ताव 4 प्रतियों में स्वच्छ टंकित कराकर भिजवायें।
  - iv. आवेदन प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियां पूर्ण की जावे।
  - v. राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रस्ताव अलग-अलग प्रेषित किये जावें।
  - vi. एक विभाग से अधिकतम एक राजपत्रित अधिकारी एवं एक अराजपत्रित कर्मचारी के नाम पुरस्कार के प्रस्तावित किये जावें।
  - vii. सांख्यिकी सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न कर भिजवायें जावे। विभागाध्यक्ष

यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करें कि कार्मिक के सेवाकाल के दौरान अन्य वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन भी अच्छा/बहुत अच्छा/ उत्कृष्ट श्रेणी के रहे हैं।

**4. चयन प्रक्रिया –** सांख्यिकीय क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु आवेदन संबंधी प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक सचिव द्वारा निर्धारित अवधि में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को भिजवायें जायेंगे। निर्धारित अवधि तक प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा, परीक्षण एवं अनुशंसा निम्नानुसार प्रस्तावित समिति द्वारा की जाकर माननीया मुख्यमंत्री महोदया (प्रभारी मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) के अनुमोदन उपरान्त पुरस्कार हेतु कार्मिकों का चयन किया जावेगा:—

- |   |            |
|---|------------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना –                                 | अध्यक्ष    |
| 2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग – | सदस्य      |
| 3. आयोजना विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम् संयुक्त शासन सचिव –   | सदस्य      |
| 4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय –  | सदस्य सचिव |

## 5. चयन हेतु पात्रता

1. यह पुरस्कार राजस्थान की राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों जो कि सांख्यिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, को प्रदान किया जायेगा।
2. कार्मिक कम से कम 7 वर्ष की नियमित राजकीय सेवा पूर्ण कर चुका हो।
3. कार्मिक की वांछित कार्य अवधि के दो—तिहाई वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा होने चाहिए। अन्तिम 7 वर्ष की कार्य अवधि में से 5 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा होने चाहिए।
4. ऐसे कार्मिकों जिनके विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा गत पांच वर्षों में विभागीय जांच में दण्ड प्राप्त हुआ है, पुरस्कार के लिये अपात्र होंगे। अतः विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक सचिव द्वारा ऐसे कार्मिकों के प्रस्ताव पुरस्कार हेतु अग्रेषित नहीं किये जावें।
5. भ्रष्टाचार एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों में लिप्त, आरोपित व सजा प्राप्त कार्मिक को पुरस्कार हेतु योग्य नहीं माना जावेगा।
6. किसी अधिकारी/कर्मचारी को राज्य सेवा में रहते हुये एक बार प्रो. पी.सी. महालनोबिस अवार्ड प्राप्त करने के पश्चात् उस कार्मिक के प्रस्ताव पुनः इस अवार्ड के लिये नहीं भेजें तथा प्रस्ताव भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि कार्मिक को पूर्व में इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है।
7. आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय अन्य राजकीय विभागों/संस्थाओं/प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त योग्यता प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।

\* \* \* \* \*

## राज्य स्तरीय प्रो. पी.सी.महालनोबिस अवार्ड

वर्ष— 2017 हेतु आवेदन—पत्र

नवीनतम पासपोर्ट  
साईज फोटो

### 1. कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना:

क्र.सं.	वांछित सूचना	विवरण						
1	नाम							
2	वर्तमान में धारित पद व धारित करने का दिनांक							
3	वर्तमान वेतन व वेतनभान ग्रेड पे सहित							
4	जन्म दिनांक							
5	सेवा का नाम (राजपत्रित/अराजपत्रित)							
6	सेवा में प्रवेश की दिनांक							
7	कार्मिक का स्थाई पता							
8	कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता							
9	कार्मिक की EMP ID							
10	टेलिफोन/मोबाइल नं.							
11	कार्मिक द्वारा विगत 7 वर्षों के दौरान धारित पद व विभाग जिनमें में नियोजित रहे	<table border="1"> <tr> <td>पदनाम</td> <td>विभाग</td> <td>कार्यस्त अवधि</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	पदनाम	विभाग	कार्यस्त अवधि	.....	.....	.....
पदनाम	विभाग	कार्यस्त अवधि						
.....	.....	.....						

2. राज्य स्तरीय प्रो. पी. सी. महालनोबिस अवार्ड की श्रेणी जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है—
- .....
- .....

3. कार्मिक द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य एवं प्राप्त विशेष उपलब्धियों का विवरण (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)
- .....
- .....
- .....
- .....

#### 4. आवेदक को राजकीय सेवा करते हुए पूर्व में प्राप्त पुरस्कार व अवार्ड का विवरण

क्र.सं.	अवार्ड का स्तर	अवार्ड का विवरण	प्राप्ति दिनांक
1			
2			

संलग्नकों का विवरण —

- 1.
- 2.

विभागाध्यक्ष / सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील

1. विभागीय जांच विचाराधीन नहीं होने/दण्ड प्राप्त नहीं होने/भ्रष्टाचार एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों में लिप्त, आरोपित व सजा प्राप्त नहीं होने का प्रमाण पत्र (नियंत्रण अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष)

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....पुत्र श्री ..... जो कि इस विभाग में .....के पद पर दिनांक.....से कार्यरत है। इनके विरुद्ध आज दिनांक को कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है तथा गत 7 वर्षों में इनको किसी विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर दण्डित नहीं किया गया है।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....को इनके सेवाकाल के दौरान भ्रष्टाचार व अन्य आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/ आरोपित नहीं किया गया है और न ही सजा प्राप्त है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... के कुल .....वर्ष के सेवाकाल के दौरान वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अच्छा/बहुत अच्छा/उत्कृष्ट श्रेणी के ही रहे हैं।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर

2. विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक सचिव द्वारा अप्रेषण टिप्पणी (मय उल्लेखनीय कार्य विवरण के)

---



---



---



---



---



---

विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक सचिव  
के हस्ताक्षर मय सील